मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2021-23 /R.N.I. No. 2022007062

ग्रामीण सफाई कर्मचारी आरपार की लड़ाई को तैयार 2
खाद्य सुरक्षा विभाग को उपभोक्ताओं की सेहत से कोई सरोकार नहीं 4
औसतन, समुद्र तट के हर 500 किमी पर एक अडानी बंदरगाह 5
महान रुसी नवम्बर क्रांति की याद में 6
राज्य सेवा अधिकार आयोग ड्रामा बन कर रह गया है 8

वर्ष 37 | अंक -51 | फरीदाबाद 5 नवम्बर-11 नवम्बर 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

काली कमाई के बंटवारे को लेकर फौजी कैंटीन में सिर फुटव्वल

फरीदाबाद मज़दूर मोर्चा । गैर फौजी महिला को फौजी कैंटीन सौंप देने के चलते 28 अक्तूबर की रात को कर्मचारियों व सप्लायरों के बीच मारपीट व खून खराबे की नौबत आ गई। कैंटीन को सामान सप्लाई करने वाली कंपनी के एजेंट राजेश ने केयरटेकर चौबे को मारपीट कर लहूलुहान कर डाला। बताया जा रहा है ये मारपीट कैंटीन में सप्लाई किए जाने वाले सामान के कमीशन की बंदरबांट में हुए विवाद के कारण हुई। कायदे कानून दरकिनार कर गैर फौजी महिला को मैनेजर बनाए जाने से कैंटीन में आम लोगों की दखल बढ़ने और सेवानिवृत्त फौजियों के हक मारे जाने की आशंका जाहिर करते हुए मज़दूर मोर्चा 1-7 अक्तूबर के अंक में खबर प्रकाशित कर चुका है।

हर फौजी कैंटीन की तरह यहां प्रत्येक महीने के अंतिम तीन दिनों में स्टॉक टेकिंग की मीटिंग होती है। 28 अक्तूबर की रात को भी स्टॉक टेकिंग मीटिंग हो रही थी। बताया जाता है कि रात कैंटीन में आपूर्ति के लिए विदेशी शराब, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, कार, फ्रिज, ओवन, साथ ही फ़रीदाबाद के बाहर की फ़ैक्टरियों व गोदामों से माल लेकर आए ट्रक खड़े थे।

मधु चौहान
कैंटीन मैनेजर

इस सामान के कमीशन के रूप में आए कैश के अलावा ब्यूटी प्रॉडक्ट्स की काला बाज़ारी, बिना ओपन टेंडर के क्विंटल के हिसाब से पैकिंग के गत्ते बेचने से आई नकदी, कैंटीन परिसर में सड़क बनाने व अन्य निर्माण कार्यों और स्कूटर के वेंडर्स के कमीशन की बंदरबांट हो रही थी।

मीटिंग में सूटकेस व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेचने वाली कंपनी का एजेंट राजेश भी शामिल था। यहां ये बताना आवश्यक है की प्राइवेट कंपनी का कोई भी व्यक्ति या ग़ैर फ़ौजी नुमाइंदा कैंटीन में दाखिले का क़तई हक़दार नहीं होता लेकिन कई बड़े सप्लायरों के ऐजेंटों पर मधु चौहान की विशेष कृपा रहती है क्योंकि उनसे एक मुश्त व बड़ी रक़म मिलती है। रात में हो रही इस मीटिंग व जश्न में राजेश के अलावा इसमें कैंटीन के दिन का केयर टेकर चौबे, (जिसकी सिर्फ़ दिन ड्यूटी होती है) रात का केयर टेकर सन्नी (जिसकी सिर्फ़ रात ड्यूटी होती है) व सारे बंदरबांट का हिसाब रखने वाले कैंटीन का अकाउंटेंट सुखबीर, कैंटीन मैनेजर मधु चौहान के नुमाइंदे के रूप में मौजूद था। ये बड़े आश्चर्य ऋकी बात है की मधु चौहान ने अकाउंटेंट सुखबीर को रात में कैंटीन के कंपाउंड में ही रहने की इज्जाज़त दे रखी है। मुर्गे-शराब का दौर चल रहा था।

हमेशा की भांति डील फाइनल होने पर अकाउंटेंट सुखबीर ने मधु चौहान को फ़ोन करके अपना हिस्सा लेने को बुलाया। रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपने छोटे भाई के साथ कैंटीन पहुंची तो हक्का-बक्का रह गई, देखा कि सप्लायर राजेश ने दिन के केयर टेकर चौबे को मारकर उसका खून निकाल दिया है और रात का केयर टेकर सन्नी व अकाउंटेंट सुखबीर मौक़े से ग़ायब थे।

छोटी छोटी बात पर 112 पर फ़ोन करके वयोवृद्ध पूर्व सैनिकों को कैंटीन के कंपाउंड से उठवाकर बाहर कराने वाली मधु चौहान ने इस मामले की पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की और बिना हिसाब किए पैसे लेकर तुरंत चंपत हो गई। इस बार मामला इसलिए बिगड़ा क्योंकि अकाउंटेंट सुखबीर ने मीटिंग में बताया की इस बार मधु चौहान को ज़्यादा हिस्सा देना पड़ेगा क्योंकि उसकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। इसलिए अपनी नौकरी बचाने की एवज़ू में उसे दिल्ली में पदस्थ अधिकारी को एक बड़ी रक़म देनी पड़ेगी। साथ ही लूट का एक बड़ा हिस्सा वादे के अनुसार एक सेवानिवृत्त कर्नल को भी देना है जिसने उसे फ़रीदाबाद में ही रखने की गारंटी दी है।

इस बात को लेकर एजेंट राजेश, चौबे व अकाउंटेंट सुखबीर में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। कैंटीन के आस पास स्थित गूजर भवन, पंजाबी भवन व शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस वारदात की आवाज़े सुनी गई व सेक्टर 16 के कम्युनिटी सेंटर से जा रहे कुछ लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे, बावजूद इसके इस घटना पर सबने चुप्पी साध रखी है।

फाइनेंस कंपनी द्वारा जायदाद कब्जाने की साजिश को डीआरटी ने किया विफल

फरीदाबाद (मज़दर मोर्चा)। कर्ज में डूबी आरएस इंजीनियरिंग वर्क्स को कर्जदाता कंपनी पेगसस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. ने एक दिन में फैक्ट्री खाली करने का रिकवरी नोटिस भेज दिया। पीड़ित पक्ष ने चंडीगढ़ स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी-2) की शरण ली तो न्यायाधिकरण ने नोटिस को अव्यवहारिक करार देते हुए स्थगन आदेश जारी कर दिया।

जानकारी के अनुसार आरएस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने कर्ज लिया था। कंपनी को 31 अक्तूबर तक पेगसस एसेट्स को 12.10 लाख रुपये चुकाने थे। इसके विपरीत पेगसस प्रबंधन ने 27 अक्तूबर को कंपनी को एक रिकवरी नोटिस जारी किया। इसमें निर्धारित 12.10 लाख रुपये की जगह 16 लाख रुपये 28 अक्तूबर तक जमा कराने को कहा गया था। जमा न कराने की सूरत में पेगसस 28 अक्तूबर को ही फैक्ट्री पर कब्जा कर लेगी।

इस आदेश के खिलाफ कंपनी प्रबंधन डीआरटी-2 गया। केस की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी एमएम ढोंचक ने

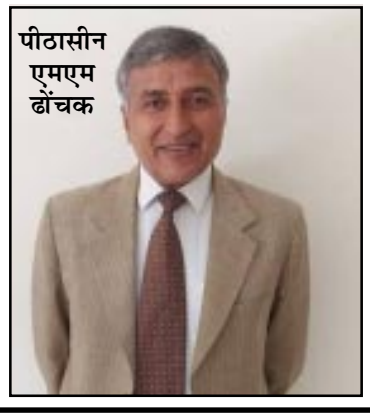
पीठासीन
एमएम
ढोंचक

पेगसस के नोटिस को सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 17 (1) के तहत गलत करार दिया। पीठासीन अधिकारी का कहना था कि पेगसस ने बहुत ही कम समय सीमा का नोटिस जारी किया है जिसका पालन करने में कोई भी खुद को असहाय महसूस करेगा। पेगसस की इस तरह की कार्रवाई को न्यायाधिकरण चुपचाप आंख बंद नहीं स्वीकार कर सकता। ऐसे हालात में प्रतिभूति संपत्ति पर कब्जा किया जाना किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता, इसलिए न्यायाधिकरण इस कार्रवाई को स्थगित करता है।

कंपनी पर कब्जा न किया जा सके इसके लिए न्यायाधिकरण ने फरीदाबाद के डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट को ईमेल से सूचना भेजी है ताकि वह उन अधिकारियों को रोक सकें जिन्हें उन्होंने कब्जा दिलाने के लिए तैनात किया था। साथ ही डीसीपी एनआईटी को भी इस आदेश का पालन कराने के

शेष पेज दो पर